पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट-सं0-48
दिनांक-06.01.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-मडियांव

- **अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **कुल 96 अदद पुड़िया 742 ग्राम (गाँजा) तथा 54 पुड़िया 27 ग्राम (स्मैक) अवैध बरामद।**

01-सक्षिप्त विवरणः-

आज दिनांक 06.01.2025 को थाना मडियांव लखनऊ की पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति में पुरनिया तिराहा बन्धा रोडपर मौजूद थी। जरिए मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि आगे रानी की कोठी दिलकश विहार कालोनी के बगल वाली गली मे एक व्यक्ति जो बिना नम्बर प्लेट की नीली स्कूटी पर बैठा है काले रंग की जैकेट, लाल टोपा व गला बन्द व काला लोवर तथा पैरो मे मोजा व चप्पल पहना है तथा स्कूटी के डिग्गी व जैकेट की जेब में गांजा व स्मैक रख कर चोरी छिपे बेच रहा है। यदि शीघ्रता की जाये तो पकडा जा सकता है।

मुखविर खास द्वारा बताये गये व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम आयुष जायसवाल S/O अरुण जायसवाल निवासी मो0 पुरानी मुंगफली मण्डी, रकाबगंज थाना वजीरगंज जनपद लखनऊ उम्र 24 वर्ष बताया। पकड़े गये व्यक्ति के कब्जे से कुल 96 पुड़िया कुल 742 (गाँजा) ग्राम तथा 54 पुड़िया27 ग्राम(स्मैक) अवैध बरामद हुआ। पकड़े गये व्यक्ति/अभियुक्त को उसके द्वारा कारित जुर्म धारा 8/20/21 NDPS ACT से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया। दौराने गिरफ्तारी/निगरानी व बरामदगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 015/25 धारा-8/20/21 NDPS ACT पंजीकृत किया गया तथा घटना में प्रयुक्त वाहन नीले रंग की एक्टिवा स्कूटी (बिना नम्बर प्लेट) को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्यः-

- अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से खरीदकर चोरी छिपे राह चलते लोगो को कागज की पुडिया के हिसाब से बेच देना तथा अपना खर्च चलाना।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. आयुष जायसवाल S/O अरुण जायसवाल निवासी मो0 पुरानी मुंगफली मण्डी, रकाबगंज थाना वजीरगंज जनपद लखनऊ उम्र 24 वर्ष (व्यवसाय- चाय की दुकान)।

04-बरामदगीः-

- कुल 96 अदद पुड़िया 742 ग्राम (गाँजा) नाजायज
- कुल 54 पुड़िया 27 ग्राम (स्मैक) नाजायज

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट-सं0-47
दिनांक-06.01.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना-सआदतगंज

- **शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 25.12.2024 को वादिनी/पीडिता उम्र करीब 22 वर्ष द्वारा बावत स्वयं के साथ अभि0 बख्तावर हुसैन पुत्र मो0 जब्बार निवासी म0नं0- 529k/545 श्याम नगर प्राथमिक स्कूल के पीछे खुर्रमनगर थाना इन्दिरानगर लखनऊ द्वारा करीब 04 वर्ष पूर्व शादी का झाँसा देकर पीड़िता के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने व अश्लील वीडियो व फोटो बनाकर वायरल कर देने एवं अन्य विपक्षीगण के साथ मिलकर जान से मारने की धमकी देने, गाली गलौज करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था।

जिसके आधार पर मु0अ0सं0- 0235/2024 धारा 376/323/427/504/506 भादवि ¾ पाक्सो एक्ट व 67 आईटी एक्ट भादवि बनाम- बख्तावर हुसैन उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त बख्तावर उपरोक्त वाछिंत चल रहा था। जिसकी तलाश पतारसी की जा रही थी।

आज दिनांक- 06.01.2025 को पुलिस टीम द्वारा मुखविर की सूचना के आधार पर अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त बख्तावर हुसैन पुत्र मो0 जब्बार निवासी म0नं0- 529k/545 श्याम नगर प्राथमिक स्कूल के पीछे खुर्रमनगर थाना इन्दिरानगर लखनऊ उम्र करीब 24 वर्ष को लाल पैथ लैब के पास निकट कोठारी बन्धु रोड के पास से पकड़ लिया गया।

अभियुक्त बख्तावर हुसैन उपरोक्त को मुकदमा उपरोक्त के जुर्म से अवगत कराते हुए पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. अभियुक्त बख्तावर हुसैन पुत्र मो0 जब्बार निवासी म0नं0- 529k/545 श्याम नगर प्राथमिक स्कूल के पीछे खुर्रमनगर थाना इन्दिरानगर लखनऊ उम्र करीब 24 वर्ष

03.पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1. मु0अ0सं0- 0235/2024 धारा 376/323/427/504/506 भादवि ¾ पाक्सो एक्ट व 67 आईटी एक्ट

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ब्रजेश सिंह थाना सआदतगंज लखनऊ।
2. निरीक्षक श्री सहेन्द्र कुमार थाना सआदतगंज लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री अंकुर थाना सआदतगंज लखनऊ।
4. का0 अजीत सिंह थाना सआदतगंज लखनऊ।
5. का0 अंकित कुमार थाना कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट-सं0-49
दिनांक-06.01.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-जानकीपुरम

- **जानकीपुरम पुलिस टीम द्वारा आनलाइन प्राप्त ई-एफआईआर की मोबाइल लूट की घटना का किया गया सफल अनावरण।**
- **घटना कारित करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 22.06.2024 को थाना स्थानीय पर बावत आवेदिका का Oneplus mobile को अज्ञात मोटरसाइकिल सवार द्वारा छीन कर आवेदिका शालिनी त्रिपाठी पत्नी मनोज कुमार त्रिपाठी निवासी 2/243 जानकीपुरम लखनऊ का ई-FIR मु0अ0स0183/24 धारा 392 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात प्राप्त हुआ। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री हेमेन्द्र सिंह को सुपुर्द हुई।

उक्त घटना के अनावरण हेतु दिनांक 05.01.2025 को उ0नि0 मय हमराह सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में मामूर था कि मुखविर खास की सूचना के आधार पर अभियुक्त सूरज पुत्र रामविलास उम्र लगभग 23 वर्ष निवासी मोहम्मदपुर दरावपुर थाना सतरिख जिला बाराबंकी हाल पता- खुर्दही बाजार सुल्तानपुर रोड थाना सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ को अन्तर्गत धारा 392 भा0द0वि0 में खुर्दही बाजार सुल्तानपुर रोड़ थाना सुशांत गोल्फ सिटी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

02-अपराध का उद्देशयः-

एक महिला रास्ते में आती हुई देखी उसके हाथ में एन्ड्राइड फोन देखकर मेरे मन में लालच आ गया और आवेदिका का फोन छीनकर भाग जाना तथा फोन बेचकर पैसे कमाना।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. सूरज पुत्र रामविलास उम्र लगभग 23 वर्ष निवासी मोहम्मदपुर दरावपुर थाना सतरिख जिला बाराबंकी हाल पता- खुर्दही बाजार सुल्तानपुर रोड थाना सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ(व्यवसाय- अण्डे का ठेला) ।

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री हेमेन्द्र सिंह थाना जानकीपुरम लखनऊ
2. उ0नि0 अभिषेक सिंह
3. हे0का0 अजीत कुमार वर्मा

02-अपराध का उद्देश्यः-

अभियुक्तगण द्वारा योजनाबद्ध तरिके से आर्थिक लाभ के उद्देश्य से दिनांक 28.11.2024 की रात्रि में वादी मुकदमा के घर में घुसकर अभियुक्तगण द्वारा लूट पाट की गयी।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. चाँद बाबू उर्फ चन्दू पुत्र मोहम्मद सरीफ निवासी ग्राम पैकरामऊ थाना गुडम्बा जिला लखनऊ उम्र करीब 27 वर्ष (बेरोजगार) ।
2. नुरूल पुत्र साहिद अली उर्फ गुड्डू निवासी ग्राम पैकरामऊ थाना गुडम्बा जिला लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष व्यवसाय - बेरोजगार।
3. फाजीद पुत्र कामील खाना निवासी भाखामऊ थाना गुडम्बा लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष व्यवसाय - बेरोजगार।
4. समीर पुत्र जलील निवासी ग्राम अचरा मऊ थाना गुडम्बा लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष व्यवसाय - बेरोजगार।

04-बरामदगीः-

- एक अदद अवैध देशी तमन्चा .315 व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
- एक जोडी सफेद धातु की पायल व 04 अदद पीली धातु कड़ा
- एक अदद मोबाइल टेक्नो कम्पनी

05. गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

पुलिस टीम थाना गुडम्बाः-	क्राइम/सर्विलांस टीम (श्रीमान पुलिस उपायुक्त उत्तरी)
1. प्रभारी निरीक्षक प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव 2. निरीक्षक भानु प्रताप सिंह 3. उ0नि0 सन्तोष पटेल 4. उ0नि0 रामगोपाल यादव 5. उ0नि0 यशपाल सिंह 6. उ0नि0 सौरभ कुमार 7. हे0का0 1961 राजीव कुमार 8. का0 2593 विकल्प 9. का0 6909 उमेश चन्द्र यादव 10. का0 विनोद कुमार 11. का0 सर्वेश कुमार 12. का0 विजय नरेश	1.उ0नि0 विश्वनाथ प्रताप सिंह (प्रभारी क्राइम/सर्विलांस टीम डीसीपी उत्तरी) 2.हे0का0 नदीम 3.हे0का0 आजम 4.हे0का0 अवधेश गिरी 4.हे0का0 वीर सिंह 5.हे0का0 संतोष कुमार 6.हे0का0 अमित कुमार गौतम

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट-सं0-51
दिनांक-06.01.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-अलीगंज

- **लड़ाई-झगड़ा कर शान्ति भंग करने वाले 03 नफर अभियुक्तों को अलीगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 06.01.25 को थाना क्षेत्रान्तर्गत न्यू वर्ल्ड स्कूल के ढलान के पास शिवपुरम त्रिवेणीनगर थाना अलीगंज लखनऊ मे आपस मे लड़ाई झगड़ा कर शान्ति भंग करने वाले 03 नफर अभि0 1. अंकित जायसवाल पुत्र धनपत जायसवाल नि0 निकट गुप्ता किराना स्टोर श्रीपुरम त्रिवेणीनगर-3 थाना अलीगंज जनपद लखनऊ उम्र 22 वर्ष 2.मनोज जायसवाल पुत्र राम लखन जायसवाल नि0 निकट गुप्ता किराना स्टोर श्रीपुरम त्रिवेणीनगर-3 थाना अलीगंज जनपद लखनऊ उम्र 24 वर्ष 3. तुषार सोनकर पुत्र राकेश सोनकर नि0 यशनगर फैजुल्लागंज थाना मड़ियांव जनपद लखनऊ उम्र 20 वर्ष को धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। अभि0गण उपरोक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का उद्देशय:-

शान्ति व्यवस्था भंग करना।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. अंकित जायसवाल पुत्र धनपत जायसवाल नि0 निकट गुप्ता किराना स्टोर श्रीपुरम त्रिवेणीनगर-3 थाना अलीगंज जनपद लखनऊ उम्र 22 वर्ष
2. मनोज जायसवाल पुत्र राम लखन जायसवाल नि0 निकट गुप्ता किराना स्टोर श्रीपुरम त्रिवेणीनगर-3 थाना अलीगंज जनपद लखनऊ उम्र 24 वर्ष
3. तुषार सोनकर पुत्र राकेश सोनकर नि0 यशनगर फैजुल्लागंज थाना मड़ियांव जनपद लखनऊ उम्र 20 वर्ष

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0उ0नि0 श्री विवेक कुमार सिंह थाना अलीगंज लखनऊ
2. का0 मंगला प्रसाद यादव थाना अलीगंज लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं. 52
दिनांक- 06.01.2025

- **साइबर क्राइम सेल द्वारा शिकायतकर्ता के 50,000/- रुपये वापस कराये गये।**

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा साइबर अपराध पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपराध में संलिप्त वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी व अपराध के रोकथाम के आदेश के क्रम में, श्रीमान् संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) कमिश्नरेट लखनऊ, पुलिस उपायुक्त (अपराध), अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) के मार्गदर्शन में व सहायक पुलिस आयुक्त साइबर क्राइम के पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम सेल के नेतृत्व में त्वरित कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ता के 50,000 /- रुपये को शिकायतकर्ता के खाते में पुनः वापस कराया गया है।

संक्षिप्त विवरण-

शिकायतकर्ता श्री शशि भूषण सिंह चौहान के द्वारा अवगत कराया गया कि धोखे से किसी अनजान व्यक्ति के खाते में 50,000/- रूपये चले गये थे, जिसे पुनः वादी के खाते में वापस कराया गया।

साइबर सेल द्वारा कृत कार्यवाही-

शिकायतकर्ता द्वारा साइबर सेल में दिये गये प्रार्थनापत्र शिकायत स0-7714/2024 को पंजीकृत कर प्रभारी निरीक्षक श्री आनन्द कुमार द्विवेदी के आदेशानुसार मु0आ0 धीरेन्द्र सिंह के द्वारा प्रार्थनापत्र पर त्वरित कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित बैंक / कम्पनियो से पत्राचार करते हुए प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कराते हुये निकाली गयी धनराशि 50,000/- रुपये को शिकायतकर्ता श्री शशि भूषण सिंह चौहान के बैंक खाते में पुनः वापस कराये गये है।

रुपये बरामद करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री आनन्द कुमार द्विवेदी, साइबर क्राइम सेल, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री राकेश मिश्रा, साइबर क्राइम सेल, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री अनुज तोमर, साइबर क्राइम सेल, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
4. उ0नि0 श्री सुमित चौधरी, साइबर क्राइम सेल, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
5. म0उ0नि0 आरती वर्मा साइबर क्राइम सेल, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
6. मु0आ0 धीरेन्द्र सिंह, साइबर क्राइम सेल, पुलिस कमिश्नरेट , लखनऊ।

अपील- सोशल मीडिया साइट / सर्च इन्जन के द्वारा ऑनलाइन कस्टमर केयर का मोबाइल सर्च कर कॉल न करे। अन्यथा आप फ्राड का शिकार हो सकते है।